

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 57
02.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जन शिकायतों का त्वरित निवारण

57. श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री रवि किशन:
डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या रसायन और पेट्रोरसायन मंत्रालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए किन्हीं उपायों को कार्यान्वित किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) मंत्रालय द्वारा देश में जनता की शिकायतों का त्वरित और तीव्र निवारण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री

(श्री भगवंत खुबा)

(क) और (ख): रसायन और पेट्रोरसायन विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

- सूचना का अधिकार से संबंधित कार्यों के समन्वय के लिए विभाग में एक आरटीआई सेल स्थापित किया गया है। यह अनुभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने वाले आवेदन को प्राप्त करता है और उन्हें केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) को हस्तांतरित करता है।

- विभाग के अधिकारियों द्वारा देखे जा रहे विषयों के अनुसार, अधिनियम की धारा 5(1) के तहत सीपीआईओ के साथ-साथ अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार अपीलीय प्राधिकारियों को भी नामित किया गया है।
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, यह विभाग पोर्टल के माध्यम से आरटीआई आवेदनों और सीपीआईओ और अपीलीय अधिकारियों की अपीलों और उत्तरों का भी निपटान कर रहा है।

(ग): जनता की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए विभाग ने एक नोडल अधिकारी नामित किया है जिसका नाम, पदनाम, कमरा नंबर, टेलीफोन नंबर आदि विभाग की वेबसाइट (<https://chemicals.gov.in/citizens-corner>) पर प्रदर्शित किया गया है। संबंधित प्रभागों में लोक शिकायतों के निवारण की प्रगति की निगरानी के लिए प्रत्येक प्रभाग में एक लोक शिकायत अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के माध्यम से प्राप्त लोक शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है और उनका निपटान किया जाता है। सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के अलावा अन्य चैनलों के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों का भी संबंधित अधिकारियों द्वारा तुरंत निपटारा किया जाता है। निस्तारित और लंबित शिकायतों की निगरानी के लिए विभाग में शीर्ष स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।
